मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी–अप्रैल, 1996 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 26 मार्च, 1996 (चैत्र 6, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कांतिलाल भूरिया, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-9-11-95-तेइस-यो-2, दिनांक 25 जनवरी, 1996 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ऊर्जा मंत्री, मध्यप्रदेश में निजी क्षेत्र में सौंपी गई विद्युत परियोजनाओं में से शेष 8 परियोजनाओं से संबंधित 8 कंपनियों के साथ निष्पादित विद्युत क्रय अनुबंध की प्रतियां पटल पर रखेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का 21 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्षान्त दिनांक 31 मार्च, 1992 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व), भूतपूर्व मुख्य सचिव, श्री जी॰ जगतपति की अध्यक्षता में मार्च, 1990 से दिसम्बर, 1992 तक की अवधि में शहरी क्षेत्र में भूमि अन्तरणों के संबंध में गठित जांच समिति मध्यप्रदेश का रायपुर विकास प्राधिकरण जांच प्रतिवेदन की संक्षेपिका पटल पर रखेंगे.

(5) श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्यमंत्री, खनिज साधन, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार खनिज साधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 19-53-87-बारह-2, दिनांक 18 मार्च, 1996 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री लल्लू सिंह, ईश्वरदास रोहाणी, गोविंद मिश्रा, सदस्य, राज्य भंडार गृह निगम के प्रबंध संचालक एवं अन्य अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं किये जाने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, इन्दौर में हाईस्कूल की अनेक उत्तर पुस्तिकाएं चौराहे पर पाए जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री निर्भय सिंह पटेल, ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य, डबरा शुगर मिल के प्रबंधकों द्वारा कृषकों को गन्ने की राशि का भुगतान न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री बाबूलाल गौर, थावरचन्द गेहलोत, शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल में विद्युत ट्रान्सफार्मर उड़ाने हेतु हुए बम विस्फोट में आर.डी.एक्स. पाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री रघुनन्दन शर्मा, बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल के पास ग्राम समसपुरा के जंगल में नील गाय का शिकार किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, जावरा कृषि उपज मंडी में कृषकों का शोषण होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.